न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 18 / 2019 / बाड़मेर

अपीलांट		रेस्पोडेंटगण
1. मांगीया उर्फ मांगाराम पुत्र पदमाराम	बनाम	1.धापु पत्नी गुला
		2.पुनमाराम पुत्र गुला
2. हुकमाराम पुत्र प्रभुराम		3.सुखा पुत्र गुला
3. पुनमाराम पुत्र वालाराम		4.माना पुत्र गुला
4. चुतराराम पुत्र वालाराम		5.केहरा पुत्र तुलछाराम
5. चेतनराम पुत्र वालाराम		6.वेहना पुत्र तुलछाराम
6. मुलाराम पुत्र वालाराम		7.नथाराम पुत्र तुलछाराम
7. किशनराम पुत्र वालाराम फौत के कायम मुकाम 7 / 1भोमाराम पुत्र किशनाराम 7 / 2तगाराम पुत्र किशनाराम 7 / 3अनी देवी पत्नी किशनाराम		8.बुधराराम पुत्र तुलछाराम 9.थानाराम पुत्र तुलछाराम 10.वीरा पुत्र मालाराम जाति जाट निवासी धने की ढाणी तहसील जिला बाड़मेर।
8. मु0 वनु बैवा वालाराम जाति निवासी धने की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर।		11.तहसीलदार सिणधरी।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर गुड़ामालानी के राजस्व आवेदन संख्या 180 / 2013(101 / 2016) बअनवान मांगीया बनाम धापू में पारित आदेश दिनांक 30.05.2015 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री नारायण कुमावत अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री भंवरलाल चौधरी रेस्पोडेंट संख्या 01 व 10 की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः— 22.05.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांटगण के खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि मौजा धने की ढाणी, पटवार क्षैत्र कमठाई तहसील सिणधरी में खसरा संख्या 154 रकबा 21.16 बीघा, खसरा संख्या 160 रकबा 153.05 बीघा का है। उतरदातागण अपीलांटगण के खेतों के सेढा पडौसी है वक्त बन्दोबस्त से आज तक अपीलांट काबिज है मौके पर अपीलांटस की रहवासी ढाणिया बनी हुई है बन्दोबस्त के समय की सेढामाठ बनी हुई है। अपीलांटगण का शांतिपूर्वक कब्जा चला आ रहा है जमीनों की किमतों में वृद्धि हो जाने के कारण उतरदातागण की नियत में खोट आ गई तब अपीलांटगण के कब्जे काश्त की भूमि हड़पने हेतु आमदा हुए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का सूचित अवसर प्रदान किय बिना ही लोक अदालत कैम्प कोर्ट बमुकाम बिलासर में दिनांक 30.05.2015 को अपीलांटगण का स्थगन प्रार्थना–पत्र अस्वीकार कर जारी स्थगन आदेश दिनांक 28.06.2013 खारीज कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त के खिलाफ एवं विधि सम्मत नहीं होने से काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना रेस्पोडेंट/अप्रार्थी की तलबी पूर्ण करवाये, बिना अप्रार्थी को सुने ही प्रकरण का अंतिम रूप से निर्णित कर दिया गया जो विधि के प्रतिकूल है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण की सुनवाई हेतु कैम्प कोर्ट में रखे जाने की अपीलांटगण को कोई सूचना नही दी गई इस कारण अपीलांटगण कैम्प कोर्ट में हाजिर नहीं हो सके। उस रोज उतरदातागण की ओर से भी कोई हाजिर नहीं हुआ तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लोक अदालत में केवल मात्र प्रकरणों का अधिक निस्तारण के उद्देश्य के विधिक प्रक्रिया अपनाये प्रकरण का एकपक्षीय निस्तारण कर दिया गया। उतरदातागण को अपीलांटगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि में हस्तक्षेप करने का कोई विधिक अधिकार हासिल नहीं है ऐसी स्थिति में अपीलांटगण के पक्ष में निषेधाज्ञा जारी की जानी थी क्योंकि पृथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति के बिंदु अपीलांट के पक्ष में होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना विवेचन किय अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि अपीलांटगण के द्वारा रेस्पोडेंट के खेत खसरा संख्या 161 रकबा 168.04 बीघा के कुछ हिस्से पर, जो अपीलांट की खातेदारी के खेत खसरा संख्या 160 से लगती भूमि है, अवैध रूप से अतिक्रमण के जरिये कुछ भूमि पर कब्जा कर लेने पर रेस्पोडेंटस ने अपने खेत की नेखमबन्दी करवाने का प्रार्थना–पत्र पेश करने पर उपखण्ड अधिकारी महोदय गुड़ामालानी के न्यायालय से दिनांक 26.02.2008 को नेखमन्दी का आदेश दिया गया, जिसकी नकल साथ पेश की जा रही है। खसरा संख्या 161 की सीमा पर नेखमबन्दी कर मौके पर पत्थर गढी की गई एवं खसरा संख्या 161 में खसरा संख्या 160 के खातेदार अपीलांटगण का जो खाली जमीन पर कब्जा था उन्हें कब्जा से बेदखल कर कब्जा रेस्पोडेंटगण खसरा संख्या 161 के खातेदारों को दिलवाया जाकर मौके पर ही पत्थर लगवाये गये, लेकिन अपीलांटगण की ढाणी का कुछ हिस्सा जो खसरा संख्या 161 की सीमा में आता है उस पर आज भी कब्जा अपीलांटगण का है। जिसे हटाने हेतु आगे तारीख दी गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत है

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अपीलाधीन निर्णय को यथावत रखा जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 म्याद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। अपीलांटगण के अधिवक्ता के द्वारा अपीलांटगण को हर पेशी तारीख पर आने को मना किया गया था। अपीलाधीन आदेश एक पक्षीय पारित किया गया। वर्तमान में उतरदातागण द्वारा अपीलांटगण के कब्जा काश्त में हस्तक्षेप करना प्रारम्भ किया तब अपीलांटगण ने अधिवक्ता से सम्पर्क किया जिस पर अपीलांटगण को अवगत करवाया गया कि प्रकरण उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी से एस.डी.ओ सिणधरी स्थानान्तरण हो चुका है मैं सिणधरी आकर पैरवी नही कर सकता हूँ। उसी दिन दिनांक 11.03.2019 को सिणधरी जाकर प्रतिलिपि मांगी जो उसी दिन तैयार होकर प्राप्त हुई जिस पर उक्त अपीलाधीन आदेश की सर्वप्रथम जानकारी हुई तब नया वकील नियुक्त कर वास्तविक ज्ञान की तारीख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अतः अपील को पेश करने में हुई देरी सद्भाविक है अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट धारा 5 म्याद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर लिखित व मौखिक बहस करते हुए बताया कि राजस्व आवेदन संख्या 180/2013 के दिनांक 30.05.2015 को खारीज होने का सर्वप्रथम ज्ञान अपीलांटगण जब मूल वाद की तारीख पेशी दिनांक 12.10.2015 को न्यायालय में उपस्थिति देने पर हो गया था। तत्पश्चात मूल वाद में लगातार 15 पेशीयों पर न्यायालय में उपस्थित आये थे जब अपीलांटगण को इतनी पेशीयों पर मूल वाद में उपस्थित होने पर राजस्व आवेदन खारीज हो जाने का ज्ञान हो जाने पर भी राजस्व आवेदन संख्या 180/2013 के खारीज होने की पूर्ण जानकारी होने पर भी **तीन वर्ष के समय तक** अपील पेश नहीं की गई जबकि उनको इस बारे में पुख्ता जानकारी थी। अपील पेश करने में जानबूझ कर देरी की, इस कारण यह अपील मियाद बाहर होने से खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा की गई देरी **सदभाविक नहीं है।** अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय की भलीभांति जानकारी होते हुए भी अपील प्रस्तुति में लगभग 03 वर्ष की देरी की और इस देरी के समुचित कारणों को Explain भी नहीं किया गया। अतः अपील को मियाद बाहर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

करने के आदेश दिये जाते हैं। चूंकि प्रकरण मे मैरिट पर भी बहस भी सुनी जा चुकी है अतः पत्रावली पर निर्णय मैरिट पर करने हेतु अग्रसर होना भी उचित होगा।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अपील प्रस्तुति के समय अपीलांट के स्थगन प्रार्थना–पत्र पर बहस के वक्त अपीलांट पक्ष द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा (दिनांक 05.03.2019) में पीले रंग में दर्शित भूमि ABCD पर अपीलांटगण ने रेस्पोडेंटगण द्वारा अतिचार करना कथित किया था। रेस्पोडेंट पक्ष की ओर से प्रस्तुत अभिलेख (क्रमांक 4 पर उल्लिखित) मौका फर्द नेखमबंदी (दिनांक 15.03.2019) से साबित होता है कि अपीलांटगण की खातेदारी का खेत खसरा संख्या 160 व रेस्पोडेंट का खेत खसरा संख्या 161 सटे हुए हैं, एक सीमा उभयनिष्ठ है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत बेदखली का वाद अंतर्गत धारा 183, 187, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में निर्णय दिनांक 13.09.2012 से अपीलांटगण की बेदखली के आदेश पारित किये। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट का अवैध कब्जा रेस्पोडेंट की भूमि है। ऐसी स्थिति में मामला पृथमदृष्टया एवं सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में नहीं है। इसके ठीक विपरीत रेस्पोडेंट की भूमि पर नाजायज आवासीय निर्माण कर कब्जा किया गया है जिसमें रेस्पोडेंटगण को अपनी खातेदारी भूमि के अधिकारों के उपयोग/उपभोग से वंचित होना पड़ रहा है और इसलिए उन्हें अपूरणीय क्षति भी हो रही है। उभयपक्ष में समझोता हो जाए इसलिए आपस में किसी तरह से सहमति किये जाने हेतु रेस्पोडेंटगण द्वारा मांगा गया अवसर दिया गया परन्तु रेस्पोडेंटगण की ओर से इस बाबत कोई सार्थक एवं समाधान योग्य पहल नहीं की गई है। उपरोक्त विवेचन के आलोक में न्यायालय हाजा का अंतरिम आदेश दिनांक 27.03.2019 अपास्त किया जाता है एवं अपील निरस्त की जाने योग्य करार दी जाती है।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

अतः अपील अपीलांट मियाद बाहर, तथ्यहीन, बेबुनियाद एवं तथ्यों से परे होने से खारिज की जाती है। सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 180/2013(101/2016) बअनवान मांगीया बनाम धापू में पारित आदेश दिनांक 30.05.2015 को यथावत रखा जाता है।

22/5/19
राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 22.05.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

22/5/19
राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner